पुस्तकालय

2
3234
16/8/12

सत्यमेव जयते

असंशोधित

7 AUG 2012

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
पी०सं० 1298 तिथि 16-8-12

07 अगस्त,2012 ई.

पंचदश विधान सभा — शुक्रवार,तिथि ----------

षष्ठम् सत्र — 16 श्रावण,1934 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ओलम्पिक में बैडमिंटन टीम का नेतृत्व करते हुए लंदन गये थे ये हम सबलोगों के लिये प्रसन्नता की बात है और ये नेतृत्व कर रहे थे और बैडमिंटन में भारत को मेडल मिला है इसके लिये हम सबलोगों को गौरव की अनुभूति हुई है । मैं इसके लिये उनका अभिनंदन करता हूं श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीजी का और अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं ।

अध्यक्ष : सर्वसम्मति से । प्रश्नोत्तर काल । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-7(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

श्रीमती परवीन अमानुल्लाह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,इस प्रश्न के लिये समय लेना चाहेंगे क्योंकि 10 डिस्ट्रिक्ट से सूचना मांगी गयी है तो वो अभी अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : समय चाहिये । अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुआ । तारांकित लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-206(श्री रामबालक सिंह)

श्री पी0 के0 शाही,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. एवं 2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मापदंड के आलोक में 5 किलोमीटर की त्रिज्या में माध्यमिक विद्यालय न होने की स्थिति में मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने की योजना है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन प्रखंडांतर्गत कल्याणपुर पंचायत में रघुनंदन उच्च विद्यालय,समर्था,कल्याणपुर दक्षिण पंचायत में अवस्थित है । अतः प्रश्नाधीन विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में उत्क्रमित करना संभव नहीं है ।

श्री रामबालक सिंह : अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस विद्यालय,राजकीय मध्य विद्यालय,कल्याणपुर में 350 छात्र हैं और लड़कियों की संख्या 175 के लगभग है और अभी वर्तमान में वो पंचायत जो अभी रघुनंदन उच्च विद्यालय के बारे में कहे हैं वह कल्याणपुर दक्षिण में पड़ता है और यह पंचायत कल्याणपुर उत्तर में है और लड़कियों की संख्या को देखते हुए हम आग्रह करना चाहते हैं कि गर्ल्स हाईस्कूल खोला जाना वहां अति आवश्यक है इसलिये

कि वहां दस किलोमीटर की दूरी पर सिंघियाघाट में गर्ल्स हाईस्कूल है फिर 12 किलोमीटर दूर दलसिंहसराय में गर्ल्स हाईस्कूल है । इसलिये हम आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहते हैं कि बालिका उच्च विद्यालय के लिये स्वीकृति दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी तो स्पष्ट रूप से अस्वीकृत इसको कर चुके हैं । संभव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0-207(श्री रमेश ऋषिदेव)

श्री पी0 के0 शाही,मंत्री : महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है । रामहंस उच्च विद्यालय चतरा में प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यक्ष,प्रबंध समिति की अनुशंसा के उपरांत 12 लाख रूपये की निकासी की गयी परंतु रात्रि प्रहरी के नियोजन में प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा नहीं प्राप्त की है ।

2. प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा प्राप्त किये बगैर रात्रि प्रहरी के नियोजन के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी,मधेपुरा के माध्यम से संबंधित प्रधानाध्यापक से कारण पृच्छा की जा रही है एवं कारण पृच्छा प्राप्त होने के उपरांत गुण दोष पर विचार करते हुए कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय,जहांतक बात 12 लाख रूपये की है इसमें पूरे बिहार में जिस क्षेत्र के जो विधायक हैं वहां के अध्यक्ष विधायक होते हैं लेकिन प्रधानाध्यापक अपने रिलेटिव को अध्यक्ष बना करके गबन किया है अध्यक्ष महोदय और जो रात्रि प्रहरी का बहाली किया है वो भी उनका रिलेटिव है । अध्यक्ष महोदय, जो रजिस्टर है विद्यालय से मंगा करके उसको देख लिया जाय कि किसका सिगनेचर है ।

श्री पी0 के0 शाही,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वीकार किया है कि जो प्रतिवेदन आया है उस प्रतिवेदन में प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रथमदृष्ट्या कदाचार किया गया है अतएव उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कारण पृच्छा के उपरांत उनके द्वारा समर्पित पृच्छा के गुण दोष पर विचार करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी महोदय, ये माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है उसको मैंने स्वीकार किया है महोदय,लेकिन किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कार्रवाई करने के कुछ बेसिक सिद्धांत हैं महोदय, हम सभी अवगत हैं कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा अन्यथा अगर कोई कार्रवाई की जायेगी जिसमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाय तो न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और दोषी पदाधिकारी उसी आधार पर, उनके छूटने की पूरी संभावना होती है इसलिये सभी नियमों इत्यादि का अनुपालन करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित है महोदय ।

(व्यवधान)